

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**Supply Revision No.- 253/2022****Ganganand Jha Petitioner.****Versus****The State of Bihar & Ors Opposite Parties.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	03.11.2023	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय, समाहर्ता, अररिया द्वारा PDS अपील वाद सं0-17/2021 में दिनांक-20.09.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इनका कथन है कि आवेदक जनवितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति सं0-11R/2016 के वैध धारक थे जो दुकान का संचालन निष्ठापूर्वक बिना किसी शिकायत के संचालित कर रहे थे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रानीगंज द्वारा दिनांक-06.02.2021 को दुकान का निरीक्षण किया गया तथा पत्रांक-34 दिनांक-08.02.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें निम्न अनियमिततायें वर्णित हैं :- (क) भंडार एवं मूल्य प्रदर्शन पट्टिका सुगोचर स्थान पर नहीं पाया जाना तथा सूचना पट्ट पर अस्पष्ट तिथि अंकित रहना (ख) भौतिक सत्यापन में ई-पॉश मशीन की पर्ची के अनुसार गेहूँ-6.06 क्विंटल, चावल-2.13 क्विंटल तथा चना-1.10 क्विंटल कम पाया जाना (ग) पैक्स परमानंदपुर की दुकान इनके साथ संबद्ध (Tag) रहने की स्थिति में इनके द्वारा दिनांक-30.01.2021 को पैक्स को आवंटित 85 क्विंटल खाद्यान्न वाहन से अनलोड नहीं कराये जाने के फलस्वरूप पैक्स के लाभुकों को अन्य PDS दुकान के साथ संबद्ध करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रानीगंज को परमानंदपुर जाना पड़ा जहाँ लाभार्थियों द्वारा इनका घेराव कर वाहन से खाद्यान्न अनलोड नहीं करने दिया जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई। इस संबंध में आवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इन्होंने दिनांक-17.02.2021 को स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया कि इनके द्वारा स्वयं एवं पत्नी की बीमारी के कारण उक्त संबद्ध खाद्यान्न वितरण करने में असमर्थता संबंधी आवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मिलकर चिकित्सा पूर्जा के साथ समर्पित किया गया था। उक्त तिथि (30.01.2021) को ये अपने पिता के अचानक बीमार पड़ जाने के कारण ईलाज हेतु अररिया चले गये थे। इस दौरान इनका मोबाईल डिसचार्ज हो गया।</p>	

लगातार
03.11.2023

ग्रामीण बच्चों के खेलने के क्रम में बोर्ड यत्र-तत्र हो जाने तथा उसपर अंकित तिथि मिटा देने से यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। पॉश मशीन के द्वारा वितरण एवं स्टॉक पंजी से मिलान करने पर भंडार में उतने खाद्यान्न सुरक्षित थे। इनके क्रमशः

द्वारा कभी भी खाद्यान्नों की कालाबाजारी नहीं की गई है। उक्त आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है। अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा इसे असंतोषजनक पाते हुए ज्ञापांक-261 दिनांक-15.03.2021 द्वारा पुनः कारणपृच्छा की मांग की गई जो इनके द्वारा समर्पित किया गया। पुनः ज्ञापांक-325 दिनांक-12.04.2021 द्वारा बिंदुवार कारणपृच्छा साक्ष्य सहित समर्पित करने का निदेश दिया गया जिसके आलोक में इनके द्वारा दिनांक-17.04.2021 को फिर स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें स्वयं, पत्नी तथा वृद्ध पिता की बीमारी एवं उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया। इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इनके विरुद्ध कभी भी किसी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उक्त आदेश के विरुद्ध समाहर्ता, अररिया के समक्ष दायर उक्त अपील भी यांत्रिक रूप से अस्वीकृत कर दिया गया जो सही नहीं है।

इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है जो विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। दुकान संचालन में इनके विरुद्ध ग्रामीणों एवं लाभार्थियों द्वारा पूर्व में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। आवेदक अपनी पत्नी एवं वृद्ध पिता की चिकित्सा में भाग-दौड़ के कारण इनका मोबाईल डिसचार्ज हो जाने के फलस्वरूप उक्त स्थिति उत्पन्न हुई। इसमें इनकी कोई गलत मंशा नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिनांक-30.01.2021 की घटना के प्रतिफल में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रानीगंज द्वारा आनन-फानन में दिनांक-06.02.2021 को इनकी दुकान का निरीक्षण करते हुए अनुज्ञप्ति रद्द करायी गई है जिसमें उनकी प्रतिशोधात्मक मंशा परिलक्षित होती है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा जनवितरण प्रणाली दुकान के संचालन में बरती गई अनियमितताओं के विरुद्ध कोई तथ्यात्मक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने अपने बचाव में निम्न न्यायालय में वर्णित तथ्यों को ही दुहराया है। आवेदक द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंडित हो सके।

अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत एवं न्यायोचित पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसे संपुष्ट किया जाता है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत।

		<p>इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p>आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p>	<p>आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p>	
--	--	---	--	--

Web Copy. Not Official.